उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id- dccourt.grd@gmail.com)

विविध वाद सं0–42/2008–09

सुप्रीटेन्डेन्ट स्कोटलैण्ड मिशन पचम्बा–बनाम–राज्य

1	2	3
03.12.24	**आदेश** यह विविध वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक मे अंचल अधिकारी, गिरिडीह के यहाँ संधारित वाद सं0 $\frac{\text{01/2008–09}}{\text{LR Case No.92/2008–09}}$ में पारित आदेश तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा इस न्यायालय के पत्रांक 857/विधि दिनांक 21.08.2009 के आलोक में अभिलेख उनके द्वारा बिना आदेश पारित किये इस न्यायालय को अग्रसारित किये जाने के फलस्वरूप प्रारंभ की गई है। मामला जमाबंदी के नियमितिकरण से संबंधित है। अभिलेखबद्ध दस्तावेजों, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के अभिकथन, विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अभिकथन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत भूमि मौजा–लखारी, खाता नं0–80, प्लॉट नं0–237, रकबा–03 बीघा 05 कट्ठा पर प्रथम पक्ष द्वारा 01.01.1946 के पूर्व का निंबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया गया हैं तथा उनका जमाबंदी एवं दखल कब्जा काफी समय से चला आ रहा है। अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा दिनांक 18.07.2008 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के जमाबंदी को वैध मानने की अनुशंसा की गई है तथा इसी आलोक में आवेदक द्वारा उनके नाम से निर्गत हो रही लगान रसीद पर लगे रोक को हटाकर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। स्पष्टतः यह मामला वादगत भूमि के नियमितिकरण और लगान रसीद निर्गत करने से संबंधित प्रतीत होता है तथा राजस्व निबंधन विभाग के पत्रांक सं0 2861 दिनांक 08.06.2017, 2884 दिनांक 10.07.2018 एवं 1704 दिनांक 15.07.2020 में निहित दिशा निर्देश के आलोक में इस मामले का हल प्रावधानित है। [illegible]	

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष सुप्रीटेन्डेन्ट स्कोटलैण्ड मिशन पचम्बा सभी दस्तावेजो के साथ, जिन पर वे निर्भर हैं और विश्वास रखते हैं एवं जो दस्तावेज उनके द्वारा उपायुक्त न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं, के साथ अंचल अधिकारी के न्यायालय में **Representation** दें तथा अंचल अधिकारी ऐसे **Representation** के प्राप्त होने पर समयबद्ध तरीके से उपरोक्त विभागीय परिपत्रों के अनुसार समुचित निर्णय लेना सुनिश्चित करें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

03/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

03/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 953 /न्या0 दिनांक 03/12/2024

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, गिरिडीह, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह एवं अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

03/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2024.12.07 14:34:17 +05:30
Location: 192.168.0.124